न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–जीसीएमएस नम्बर 2023/154

01. मांगीलाल,
02. छोटू,
03. राजू,
04. बाबूलाल, पुत्रान स्व. श्री पांचू, जाति बलाई, निवासी ग्राम बगराना, तहसील जयपुर जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

01. श्रीमती गंगा देवी पुत्री स्व. श्री नानगराम धर्मपत्नी श्री मंगलचन्द, जाति बलाई निवासी हिंगोनिया की ढाणी, कानोता रेलवे स्टेशन के पास, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
02. श्रीमती जमना देवी देवी पुत्री स्व. श्री नानगराम धर्मपत्नी श्री खेमचन्द, जाति बलाई निवासी हिंगोनिया की ढाणी, कानोता रेलवे स्टेशन के पास, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
03. श्रीमती संतोष देवी पुत्री स्व. श्री नानगराम धर्मपत्नी श्री पूरणमल, जाति बलाई, निवासी ग्राम रूपपुरा, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

04. श्रीमती रूकमा देवी धर्मपत्नी स्व. श्री नानगराम,
05. दामोदर पुत्र स्व. श्री नानगराम,
06. गंगाराम पुत्र स्व. श्री नानगराम, जाति बलाई, निवासी ग्राम बगराना, तहसील व जिला जयपुर।
07. श्रीमती गुल्लीदेवी पुत्री स्व. श्री पांचू धर्मपत्नी हनुमान सहाय, जाति बलाई, निवासी घाटा, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
08. श्रीमती सुगना देवी पुत्री स्व. श्री पांचू धर्मपत्नी श्री जगमोहन, जाति बलाई निवासी ग्राम जीतावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
09. नेमीचन्द पुत्र स्व. श्री रामलाल, जाति बैरवा, निवासी प्लॉट नम्बर ई–20, मॉडल टाउन , जामडोली, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
10. सरपंच, ग्राम पंचायत सुमेल तहत पंचायत समिति झोटवाडा, तहसील व जिला जयपुर।
11. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर व तहसील व जिला जयपुर।

––प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स

अपील संख्याः–जीसीएमएस नम्बर 2023/172

01. मांगीलाल,
02. छोटू,
03. राजू,
04. बाबूलाल, पुत्रान स्व. श्री पांचू, जाति बलाई, निवासी ग्राम बगराना, तहसील जयपुर जिला जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

––अपीलान्ट्स

बनाम

01. श्रीमती गंगा देवी पुत्री स्व. श्री नानगराम धर्मपत्नी श्री मंगलचन्द, जाति बलाई निवासी हिंगोनिया की ढाणी, कानोता रेलवे स्टेशन के पास, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

02. श्रीमती जमना देवी देवी पुत्री स्व. श्री नानगराम धर्मपत्नी श्री खेमचन्द, जाति बलाई निवासी हिंगोनिया की ढाणी, कानोता रेलवे स्टेशन के पास, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

03. श्रीमती संतोष देवी पुत्री स्व. श्री नानगराम धर्मपत्नी श्री पूरणमल, जाति बलाई, निवासी ग्राम रूपपुरा, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

04. श्रीमती रूकमा देवी धर्मपत्नी स्व. श्री नानगराम,

05. दामोदर पुत्र स्व. श्री नानगराम,

06. गंगाराम पुत्र स्व. श्री नानगराम, जाति बलाई, निवासी ग्राम बगराना, तहसील व जिला जयपुर।

07. श्रीमती गुल्लीदेवी पुत्री स्व. श्री पांचू धर्मपत्नी हनुमान सहाय, जाति बलाई, निवासी घाटा, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

08. श्रीमती सुगना देवी पुत्री स्व. श्री पांचू धर्मपत्नी श्री जगमोहन, जाति बलाई निवासी ग्राम जीतावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

09. नेमीचन्द पुत्र स्व. श्री रामलाल, जाति बैरवा, निवासी प्लॉट नम्बर ई–20, मॉडल टाउन जामडोली, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

10. सरपंच, ग्राम पंचायत सुमेल तहत पंचायत समिति झोटवाडा, तहसील व जिला जयपुर।

11. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर व तहसील व जिला जयपुर।

——प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री हिमांशु सोगानी,अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री जगदीश सिंह तंवर, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 की ओर से**
3. **श्री प्रकाश चन्द भारती, रेस्पोडेन्ट संख्या 9 की ओर से**
4. **श्री हीरालाल सैनी, रेस्पोडेन्ट संख्या 11 की ओर से**

दिनांकः 13.10.2025

निर्णय

अपीलार्थीगण द्वारा यह दोनों अपीलें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.02.2023 एवं नामान्तरकरण संख्या 683 वाके ग्राम बगराना पर पारित आदेश दिनांक 09.03.2023 से असंतुष्ट होकर भू राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 75 की तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने दोनों अपीलों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम बगराना तहसील जयपुर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 481 रकबा 1 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी खसरा नम्बर 482 रकबा 2 बिस्वा गैर मुमकिन चाह व खसरा नम्बर 483 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा राजस्व भू अभिलेखों में श्री रामदेव पुत्र चन्दर बलाई का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज था। श्री रामदेव की विरासत का नामान्तरकरण रामदेव के पुत्र तथा अपीलार्थीगण एवं प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 के पिता श्री पांचू के पक्ष में तस्दीक किये जाने हेतु पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण पंजिका संख्या 89 दिनांक 29.12.1960 को भरकर ग्राम पंचायत सुमेल पंचायत तहत समिति झोटवाडा के समक्ष प्रस्तुत किया और ग्राम पंचायत ने उक्त नामान्तरकरण नियमानुसार तस्दीक कर दिया। जिसके आधार पर राजस्व भू–अभिलेखों में उक्त भूमि पांचू पुत्र रामदेव बलाई के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई।

उन्होने आगे कथन किया है कि पांचू पुत्र रामदेव बलाई ने दिनांक 06.08.1993 एवं दिनांक 20.12.1994 को उपरोक्त वर्णित भूमि महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति को हस्तान्तरित करने के इकरारनामें तहरीर किये और कब्जा संभला दिया जिस पर महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति ने उक्त भूमि पर आवासीय भूखण्ड काटकर अपने सदस्यों को हस्तांतरित कर दिये जिनके आधार पर उक्त भूखण्डधारी काबिज हो गये और मौके पर उक्त भूमि पर कृषि भूमि के स्थान पर अकृषि भूमि के रूप में स्थापित हो गई। तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण ने प्राधिकृत अधिकारी जोन सी–3 के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर यह स्पष्ट किया कि उक्त कृषि भूमि पर अकृषि भूमि के रूप मे काम में आ रही है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 90बी(1) के तहत कार्यवाही की जावें जिस पर प्राधिकृत अधिकारी(उपायुक्त) जयपुर विकास प्राकिधरण जोन सी–3 ने दिनांक 31.01.2002 को आदेश पारित कर उक्त भूमि से खातेदारों के खातेदारी अधिकारों को पर्यावसन कर उक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में निहित होने के आदेश पारित फरमा दिया गया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दिनांक 24.01.1979 को श्री पांचू पुत्र रामदेव बलाई ने उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 483 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा में से 1/20 हिस्से की भूमि श्रीमती गोविन्दी देवी धर्मपत्नी श्री रामलाल बैरवा को विक्रय कर कब्जा संभला दिया जिसके आधार पर उक्त खसरा नम्बर 483 की खातेदारी के 1/20 हिस्से में श्रीमती गोविन्दी देवी धर्मपत्नी श्री रामलाल बैरवा का नाम खातेदार कृषक के रूप में अंकित कर दिया गया, उक्त 1/20 हिस्से की भूमि श्रीमती गोविन्द देवी धर्मपत्नी रामलाल बैरवा के नाम खातेदारी में अंकित की गई और शेष 19/20 हिस्से की भूमि पांचू पुत्र रामदेव बलाई के नाम खातेदारी में यथावत रही। उन्होने आगे कथन किया है कि दिनांक 16.02.2007 को श्रीमती रूकमा देवी धर्मपत्नी स्व. श्री नानगराम, दामोदर व गंगाराम पुत्रान स्व. श्री नानगराम ने उक्त भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष एक नियमित वाद प्रस्तुत कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। उक्त दावे को उपखण्ड अधिकारी जयपुर ने वाद संख्या 07/2007 उनवानी श्रीमती रूकमा देवी बनाम पांचूराम व अन्य दर्ज किया। उक्त वाद में प्रतिवादीगण की तामील भी हो गई, परन्तु उसके पश्चात् वादीगण ने उक्त दावे को दिनांक 29.04.2008 को अदम हाजरी में खारिज करवा लिया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने उपरोक्त वर्णित नामान्तरकरण संख्या 89 के विरूद्ध एक अपील उपखण्ड अधिकारी जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की और उपखण्ड अधिकारी जयपुर ने उक्त अपील संख्या 03/2015 दिनांक 27.06.2016 के अपने निर्णय द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये उक्त नामान्तरकरण संख्या 89 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार जयपुर को समस्त वारिसान की जांच कर पुनः विधिक निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार जयपुर ने उक्त प्रकरण को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के तहत पंजीकृत किया और यह तथ्य समक्ष आने पर कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 90बी(1) के तहत आदेश पारित किये जाकर उक्त भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज की जा चुकी है, दिनांक 27.07.2018 के निर्णय द्वारा उक्त आवेदन निरस्त फरमा दिया। दिनांक 27.07.2018 को पारित उपरोक्त वर्णित आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा एक अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो विचाराधीन रही। उसके पश्चात् उक्त अपील को बिना किसी शर्त के विड्रो किये जाने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया और न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 07.09.2022 के आदेश द्वारा उक्त अपील संख्या 363/2018 को विड्रो किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर निरस्त फरमा दिया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि धारा 90बी(1) के तहत आदेश पारित होने के पश्चात् भी नानगराम के उत्तराधिकारियों श्रीमती रूकमा देवी व अन्य ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु वाद संख्या 07/2007 उपखण्ड अधिकारी जयपुर के समक्ष दिनांक 16.02.2007 को प्रस्तुत कर दिया जो दावा दिनांक 29.04.2008 को निरस्त फरमा दिया गया, पुनः उक्त भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 15.01.2015 को खातेदारी अधिकारों की घोषणा, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु एक दावा प्रस्तुत किया गया और उसके पश्चात् तृतीय दावा प्रस्तुत किया गया, उक्त दावें विचाराधीन रहने के दौरान समरी प्रोसिडिंग्स में कोई आदेश पारित नही किया जा सकता परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया, जो पूणतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। उन्होने यह भी कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के भूमि विवादग्रस्त में किसी प्रकार के कोई अधिकार निहीत नही है, यदि भूमि वादग्रस्त में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के कोई अधिकार पूर्व में होना माना भी जावें तो भी उनका भूमि विवादग्रस्त पर वास्तविक कब्जा नही है और वास्तविक कब्जे के अभाव में कब्जा प्राप्त करने के सम्बन्ध में दावा प्रस्तुत करने की समयावधि समाप्त होने के पश्चात् उनके अधिकार हमेशा–हमेशा के लिये समाप्त हो गये है। अधिकार विहीन व्यक्ति के पक्ष में किसी प्रकार के कोई नामान्तरकरण तस्दीक नही किया जा सकता परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। अतः अपीलान्ट की दोनों अपीलें स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2023 एवं नामान्तरकरण संख्या 683 वाके ग्राम बगराना पर पारित आदेश दिनांक 09.03.2023 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों का विरोध करते हुए एवं अपनी लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 485, 482, 483 कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा ग्राम बगराना पटवार हल्का जामडोली तहसील व जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि का पूर्व राजस्व रिकार्ड रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के पड़दादा रामदेव पुत्र चन्दा के नाम से दर्ज व अंकित रहा है तथा उक्त भूमि अनुसूचित जाति के सदस्यों की सहखातेदारी की कृषि भूमि है। उन्होने यह भी कथन किया है कि उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण संख्या 89 ग्राम बगराना, तहसील जयपुर ग्राम पंचायत सुमेल द्वारा केवल मात्र पांचू के नाम त्रुटिवश दर्ज कर दिया गया था जिसकी अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर के यहॉ प्रस्तुत की गई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर ने अपील को अन्तिम रूप से निर्णित कर दिनांक 27.06.2016 को आदेश पारित किया कि नामान्तरकरण संख्या 89 ग्राम बगराना को खारिज कर पुनः समस्त वारिसों की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने के लिए तहसीलदार जयपुर को रिमाण्ड फरमा दिया गया। इस रिमाण्ड आदेश की किसी भी रेस्पोडेन्ट द्वारा आज तक अपील प्रस्तुत नही की गई। उन्होने यह भी कथन किया है कि रिमाण्ड आदेश के पश्चात् तहसीलदार जयपुर ने प्रकरण को धारा 135(2) लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत दर्ज कर दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण संख्या 7/2022 में दिनांक 28.02.2023 को अन्तिम निर्णय पारित कर भौरी लाल के वारिसों के नाम से हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये। जिस पर राजस्व रिकार्ड में भौरीलाल के वारिसों रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 का नाम उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में हिस्सा 1/2 में बहैसियत सहखातेदार दर्ज कर नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने अपनी अपील के पैरा संख्या 3 में अंकित किया है कि अपीलान्ट के पिता पांचू पुत्र रामदेव अकेले के द्वारा उपरोक्त त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण के आधार पर अपने आप को सदोष लाभ पहुँचाने की गरज से दिनांक 06.08.1993 को तथा दिनांक 20.12.1994 को उपरोक्त वर्णित भूमि महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. को जरिये इकरारनामा बैचान करना अंकित किया है, तत्पश्चात् उक्त भूमि 90बी(1) के तहत कार्यवाही की जाकर सन् 2008 में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज कर दी गई थी। उन्होने यह भी कथन किया है कि अपीलान्ट के उपरोक्त तथ्यों से यह साबित है कि अपीलान्ट के उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में उनके पिता के द्वारा भूमि बैचान किये जाने के पश्चात् किसी भी प्रकार के खातेदारी हक व अधिकार शेष नही रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से अपीलान्ट के हक व अधिकारों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नही पड़ा है, ना ही अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के समय अपीलान्ट विवादित कृषि भूमि के सहखातेदार रहे है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भी अपीलान्ट सहखातेदार के रूप में दर्ज नही है। अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर यह भी स्पष्ट नही है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से अपीलान्ट के हक व अधिकार किस प्रकार से प्रभावित रहे है। इसलिये अपीलान्ट द्वारा बिना किसी अधिकार के प्रस्तुत की गई यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने अपील में इस तथ्य से इन्कार नही किया है कि उनके पिता का सगा भाई भौरीलाल नही था, तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 विरासत के आधार पर उक्त भूमि के हिस्सा 1/2 के खातेदारी हक व अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है। इस अपील के निर्णय से भी अपीलान्ट के हक व अधिकार प्रभावित नही हो रहे है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अपीलान्ट की सगी बहन रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 श्रीमती गुल्ली देवी व सुगना देवी ने अपने खातेदारी हक व अधिकारों के लिऐ एक वाद पत्र संख्या 157/2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के यहाँ प्रस्तुत किया है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के द्वारा प्रस्तुत सभी तथ्यों का समर्थन किया है तथा यह भी अंकित किया है कि उक्त भूमि का हिस्सा 1/2 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 को विरासत के आधार पर प्राप्त होता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर भी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 ने कथन किया है कि उक्त भूमि को लेकर अपील के सभी पक्षकारों के मध्य एक नियमित वाद पत्र संख्या 144/2021 वर्तमान में उनवानी दामोदर वगैरा बनाम मांगीलाल व अन्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में घोषणा, खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का साक्ष्य वादी में लम्बित है। यदि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों तथा नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने की कार्यवाही से उनके स्वयं के हक व अधिकार किसी भी प्रकार से प्रभावित होता है तो इस नियमित वाद में अपना पक्ष व दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर अग्रिम कार्यवाही करने के लिऐ स्वतंत्र है। इसलिये भी अपीलार्थीगण की अपील पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही तथा नामान्तरकरण बाबत तहसीलदार द्वारा पारित किये गये आदेश के समय उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज नही था, अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व कार्यवाही से उनके हक व

--6--

अधिकार प्रभावित नही हुये है। इसलिये यह अपील बिना किसी विधिक अधिकार प्रस्तुत किये जाने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः लिखित बहस में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे विदित होता है कि:–

1. यह कि भूमि विवादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 89 दिनांक 29.12.1960 के विरूद्ध अपील असाधारण विलम्ब से दिनांक 08.12.2015 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रथम जयपुर के समक्ष प्रस्तुत हुई। जिस अपील को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 27.06.2016 से नामान्तरकरण संख्या 89 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार जयपुर को वारिसों की जांच हेतु रिमाण्ड कर दिया गया जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष पक्षकारान के मध्य भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में नियमित वाद विचाराधीन था। ऐसी स्थिति में जब पक्षकारान के हक, हकूक, अधिकार तो नियमित वाद में ही तय होने थे तो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर के द्वारा नियमित वाद का प्रथमतः निस्तारण किया जाना चाहिये था।
2. यह कि उसके उपरान्त उपखण्ड अधकारी प्रथम के निर्णय दिनांक 27.06.2016 की पालना में तहसीलदार जयपुर ने अपना निर्णय दिनांक 27.07.2018 पारित किया। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा एक अपील न्यायालय हाजा के समक्ष एवं भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पारित 90बी के आदेश की पालना में स्वीकार नामान्तरकरण संख्या 485 के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वारा भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में स्वयं के निर्णय दिनांक 27.06.2016 की इजराय पालना हेतु तहसीलदार जयपुर को बिना क्षेत्राधिकार के पत्रांक 5020 दिनांक 17.10.2022 जारी किया गया।
3. यह कि प्रकरण में तहसीलदार जयपुर द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रथम जयपुर के रिमाण्ड निर्णय दिनांक 27.06.2016 की पालना में जब अपना आदेश दिनांक 27.07.2018 पारित किया जा चुका है, जिसकी अपील भी न्यायालय हाजा के समक्ष की गई थी। जिसमें प्रथम पक्षकार स्वयं तहसीलदार जयपुर रहे है उसके बाजवूद तहसीलदार जयपुर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के रिमाण्ड आदेश की पालना में प्रकरण को पुनः दर्ज कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2023 पारित किये जाने के विधिक अधिकार तहसीलदार जयपुर को कानूनन प्रदत्त ही नही थे।

माननीय आयुक्त
जयपुर

पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष निर्णय दिनांक 27.07.2018 के विरूद्ध दायर अपील संख्या 363/2018, दिनांक 07.09.2022 को एवं 90बी के आदेश की पालना में स्वीकार नामान्तरकरण संख्या 485 के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष दायर अपील 78/2016, दिनांक 04.08.2022 को विड्रो की जा चुकी है, जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 को नामान्तरकरण संख्या 485 एवं तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित आदेश 27.07.2018 के सम्बन्ध में स्वतः ही स्वीकारोक्ति हो चुकी है। अब चूँकि पक्षकारान के मध्य वर्तमान में भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर के समक्ष नियमित वाद संख्या 144/2021 दामोदार बनाम

गंगादेवी एवं 38/2023 उनवान जमनादेवी बनाम नेमीचन्द विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में पक्षकारान को उक्त नियमित वाद में अपने हक, हकूक अधिकारों के लिऐ चाराजोही करनी चाहिये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2023 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की दोनों अपीले स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2023 को एवं नामान्तरकरण संख्या 683 वाके ग्राम बगराना पर पारित आदेश दिनांक 09.03.2023 को निरस्त किया जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।